



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042025-262281
CG-DL-E-04042025-262281

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 2025/चैत्र 13, 1947

No. 110]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2025/CHAITRA 13, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2025

सं. 01/2025-26

विषय: प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के परिशिष्ट 4ख में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/94/180/261/एम18/पीसी-4.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के परिशिष्ट 4ख के तहत भाग क और ख में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

क. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सोना और चांदी, दोनों के आयात हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों की सूची 01.04.2025 से प्रभावी और 31.03.2026 तक वैध है।

क्र.सं.	बैंक का नाम
1.	एक्सिस बैंक लिमिटेड
2.	बैंक ऑफ इंडिया

3.	फेडरल बैंक लिमिटेड
4.	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
5.	इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड
6.	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
7.	इंडसइंड बैंक लिमिटेड
8.	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
9.	करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
10.	पंजाब नेशनल बैंक
11.	आरबीएल बैंक लिमिटेड
12.	भारतीय स्टेट बैंक
13.	यस बैंक लिमिटेड

ख. वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए केवल सोने के आयात हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों की सूची 31.04.2025 से प्रभावी और 31.03.2026 तक वैध है।

क्र.सं.	बैंक का नाम
1	इंडियन ओवरसीज बैंक
2	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के परिशिष्ट 4ख के तहत सोने/चांदी के आयात हेतु प्राधिकृत बैंकों की सूची को अद्यतित किया गया है।

संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 3rd April, 2025

No. 01/ 2025-26

Subject: Amendment in Appendix 4B of Handbook of Procedures, 2023-reg.

F. No. 01/94/180/261/AM18/PC-4.— In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 & 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Part A and B under Appendix 4B of Handbook of Procedure, 2023:

A. LIST OF BANKS AUTHORISED BY RESERVE BANK OF INDIA TO IMPORT BOTH GOLD AND SILVER FOR FY 2025-26 WITH EFFECT FROM 01.04.2025 AND VALID UPTO 31.03.2026.

Sr. No.	Name of bank
1	Axis Bank Limited
2	Bank of India
3	Federal Bank Limited
4	HDFC Bank Limited
5	Industrial and Commercial Bank of China Limited
6	ICICI Bank Limited
7	IndusInd Bank Limited
8	Kotak Mahindra Bank Limited

9	Karur Vysya Bank Limited
10	Punjab National Bank
11	RBL Bank Limited
12	State Bank of India
13	Yes Bank Limited

B. LIST OF BANKS AUTHORISED BY RESERVE BANK OF INDIA TO IMPORT ONLY GOLD FOR FY 2025-26 WITH EFFECT FROM 01.04.2025 AND VALID UPTO 31.03.2026.

Sr. No.	Name of bank
1	Indian Overseas Bank
2	Union Bank of India

Effect of this Public Notice:

List of banks authorized to import gold/silver under Appendix 4B of Handbook of Procedures, 2023 has been updated.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.